



2026:AHC:67819

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**धारा 528 के तहत आवेदन बी.एन.एस.एस. संख्या- 12903 वर्ष 2026**

**राकेश चंद्र आर्य ..... आवेदक**

**बनाम**

**उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य ..... प्रतिपक्षी**

**आवेदक के अधिवक्ता: मिर्जा फहीम बेग**

**प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता**

**न्यायालय सं - 74**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा**

1. आवेदक के अधिवक्ता को सुना; राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. निष्क्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-4, मुजफ्फरनगर द्वारा शिकायत मामले संख्या-25603 वर्ष 2024 (सिद्धार्थ शर्मा बनाम राकेश चंद्र आर्य) में जारी समन आदेश दिनांक 19.05.2025 को रद्द करने के लिए प्रस्तुत आवेदन दायर किया गया है।
3. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने व्यवसाय चलाने के लिए 4 लाख रुपये उधार लिए थे। इसके बाद, आवेदक ने चेक संख्या-835551 दिनांक 19.11.2024 के माध्यम से राशि वापस कर दी, जब चेक बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तो अपर्याप्त निधि के कारण उसको अस्वीकृत कर दिया गया था।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि शिकायत में आरोप झूठा, निराधार है और दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज किया गया है और यह किसी भी भौतिक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक ने 22.12.2022 को चेक के गुम होने के संबंध में थाना में सूचित किया, उसके बाद, प्रतिपक्षी संख्या-2 ने दिनांक

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



19.11.2024 के चेक के अनादर के कारण वर्तमान शिकायत दर्ज की। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन आदेश न्यायिक दिमाग के अनुप्रयोग के बिना है।

5. अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त मामले की कार्यवाही को रद्द करने के लिए प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित आदेश किसी भी अवैधता या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।

6. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने अभिलेखों पर भौतिक साक्ष्य को देखने के बाद आक्षेपित आदेश पारित किया है। अभिलेखों से पता चलता है कि आवेदक ने प्रतिपक्षी संख्या-2 को एक चेक दिया है, जिस पर आवेदक के हस्ताक्षर मौजूद थे और अपर्याप्त निधि के कारण चेक का अनादर किया गया था। चेक गुम होने और थाना में जानकारी के संबंध में आवेदक के अधिवक्ता का प्रस्तुतीकरण तथ्य का विवादित प्रश्न है जिसकी परीक्षण में सबूतों पर विचार करते समय विचारण न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि आवेदक का खाता जिला ऋषिकेश (हरिद्वार) उत्तराखंड में है। मामले के अधिकार क्षेत्र पर विचार किया जाएगा जहां भुगतानकर्ता का खाता चलता है। प्रतिपक्षी संख्या-2 खाता पंजाब नेशनल बैंक, शाखा खतौली जिला मुजफ्फरनगर में खोला गया है। शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई शिकायत का कोई अधिकार क्षेत्र अवैधता नहीं है। आक्षेपित आदेश न्यायसंगत और उचित है और आक्षेपित आदेश किसी भी अवैधता और दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। संबंधित न्यायालय द्वारा संज्ञान और सम्मन अभिलेखों पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य पर आधारित है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए सबमिशन की इस स्तर पर जांच नहीं की जा सकती है।

7. श्री ओम सेल्स बनाम अभय कुमार @ अभय पटेल और 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2897 में रिपोर्ट किए गए अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णयों पर विचार किया है:

*"14. मारुति उद्योग लिमिटेड बनाम नरेंद्र और अन्य में, इस न्यायालय ने माना कि एक अनुमान लगाया जाना चाहिए कि चेक के धारक को किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त हुआ है, जब तक कि तत्सम विपरीत साबित न हो जाए और*

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



इसलिए, उच्च न्यायालय कार्यवाही के प्रारंभिक चरण में अभियुक्त की याचिका पर विचार करने और उसे स्वीकार करने और शिकायत को रद्द करने में उचित नहीं था।

15. इसी तरह, रंगप्पा बनाम श्री मोहन में, यह माना गया था कि एन.आई. अधिनियम की धारा 139 द्वारा अनिवार्य अनुमान में कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता का अस्तित्व शामिल है। यह देखा गया कि इस तरह की धारणा खंडन योग्य है, और अभियुक्त को मुकदमे में अपना बचाव करना चाहिए।

16. राजेशभाई मुलजीभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य में, यह माना गया था कि उच्च न्यायालय को ऋण या देयता के निर्वहन के लिए जारी किए जा रहे चेक के संबंध में तथ्य के विवादित प्रश्नों में जाकर एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायत को रद्द नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, जब एन.आई. अधिनियम की धारा 139 ऋण या देयता के निर्वहन के लिए जारी किए जा रहे चेक के संबंध में एक वैधानिक अनुमान लगाती है।

17. रतीश बाबू उन्नीकृष्णन बनाम राज्य (दिल्ली का एन.सी.टी.) में, इस न्यायालय ने माना कि जब एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत कोई कानूनी धारणा होती है, तो शिकायत को रद्द करने के लिए पूर्व-परीक्षण चरण में तथ्य के विवादित प्रश्न पर विस्तृत जांच करना विवेकपूर्ण नहीं होगा। निर्णय में प्रासंगिक टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

"17. जैसा कि ऊपर निर्धारित कानून का प्रस्ताव यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि अदालत को पूर्व-परीक्षण चरण में शिकायत को रद्द करने की राहत देने में धीमा होना चाहिए, जब तथ्यात्मक विवाद विशेष रूप से कानूनी अनुमान के कारण संभावना के दायरे में हो, जैसा कि इस मामले में है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी भी सबूत को जोड़ने के बिना तथ्यात्मक बचाव को एक अभेद्य गुणवत्ता की आवश्यकता है, ताकि शिकायत में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया जा सके।



18. पूर्व-परीक्षण चरण में आपराधिक प्रक्रिया को बाधित करने के परिणाम गंभीर और अपूरणीय हो सकते हैं। प्रारंभिक चरणों में कार्यवाही को रद्द करने के परिणामस्वरूप पक्षों को सबूत पेश करने का अवसर नहीं मिलेगा और इसका परिणाम यह होगा कि उचित मंच यानी विचारण न्यायालय को भौतिक साक्ष्य का वजन करने से बाहर कर दिया जाता है। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया में अनुचित लाभ दिया जा सकता है। इसके अलावा, कानूनी अनुमान के कारण, जब अपीलकर्ता द्वारा चेक और हस्ताक्षर पर विवाद नहीं किया जाता है, तो इस स्तर पर सुविधा का संतुलन शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष के पक्ष में होता है, क्योंकि अभियुक्त को अनुमान का खंडन करने के लिए मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष में साक्ष्य पेश करने का अवसर मिलेगा।

19. इस प्रकार, शिकायतकर्ता पर मुकदमा न करने के लिए, सम्मन आदेश के चरण में, जब तथ्यात्मक विवाद को अभी तक प्रचारित नहीं किया गया है और विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है, तो हमारी राय में विवेकपूर्ण नहीं होगा। प्रथम दृष्टया धारणा के आधार पर, विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारण के अधीन यहां आपराधिकता के एक तत्व को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, जब कार्यवाही प्रारंभिक चरण में होती है, तो आपराधिक प्रक्रिया को रद्द करने के योग्य नहीं है।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले का निर्णय करते समय, प्रस्तर-13 और 18 में कहा है कि:

"13. हालांकि, उच्च न्यायालय ने धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में, यह परीक्षण करने के लिए आगे बढ़े कि क्या चेक किसी भी ऋण या अन्य देयता के पूरे या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए जारी किया गया था। हमारे विचार में, इस तरह की कवायद अनुचित थी क्योंकि, एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत, एक धारणा है कि चेक के धारक को किसी भी ऋण या अन्य देयता के निर्वहन के लिए, पूरी तरह या आंशिक रूप से, धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त हुआ था। इस अनुमान का खंडन मुकदमे में किए



गए सबूतों द्वारा किया जा सकता है। एक फोटियोरी, उक्त मुद्दे को उचित रूप से या तो मुकदमे में, या बाद में, मुकदमे के समापन पर, अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है।

"18. इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों के साथ-साथ एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने ऋण या देयता के निर्वहन के लिए जारी किए जा रहे चेक के संबंध में, पूर्व-परीक्षण चरण में एक रोविंग जांच करके एक त्रुटि की है। हमारे विचार में, इस तरह की कवायद संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के योग्य नहीं थी, खासकर जब शिकायत के आरोपों से पता चला कि चेक दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था। चूंकि धारा 138 एन.आई. अधिनियम के आवश्यक अवयवों की पूर्ति प्रथम दृष्टया शिकायत के आरोपों से बनाई गई है, इसलिए हमारे विचार में, न तो समन आदेश और न ही शिकायत को उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व-परीक्षण चरण में रद्द किया जा सकता था।

9. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, प्रस्तुत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

मार्च 31, 2026

मीनू सिंह

(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)